डॉ. संजय गोयल
भा.प्र.से.

आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें एवं
नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
मध्यप्रदेश शासन

पांचवी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल (म.प्र) - 462004
फोन : 0755-2441071, फैक्स : 0755-2571399
ई-मेल : commrhealth@mp.gov.in

क्र./आई.डी.एस.पी./20/2082.
दिनांक :- 24/12/2020.

विषयः– विधानसभा के शीतकालीन सत्र दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2020 को दृष्टिगत रखते हुए रखते हुए कोविड–19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु निर्देश।

Dear Sir,

विषयांतर्गत लेख है कि विधान सभा सत्र की अवधि 28 से 30 दिसम्बर 2020 में कोविड– 19 से बचाव एवं रोकथाम हेतु निम्न सुझाव/प्रस्तावों के पालन हेतु विचार करना चाहेंगे:–

1. विधानसभा सत्र की अवधि में आने वाले समस्त माननीय सदस्यों, अधिकारियों, कर्मचारियों, आगन्तुकों का मेडिकल टीम द्वारा थर्मल स्क्रीनिंग की जाये तथा सेनिटाईजर उपलब्ध कराया जाये।
2. विधानसभा सत्र में आने से पूर्व समस्त माननीय सदस्यों द्वारा कोविड–19 की जांच अपने गृह जिलों में आर.टी.पी.सी.आर पद्धति से करवाई जाये एवं नेगेटिव रिपोर्ट साथ लाई जाये।
3. कोविड–19 के उच्च जोखिम लक्षण (Red Flag Sign) निम्नानुसार है जिनके प्रति विशेष सतर्कता बरती जाये:–
   - विगत 1 सप्ताह से खांसी का इतिहास होना।
   - विगत 2 दिनों से बुखार होना या स्क्रीनिंग दिवस पर तापमान 100.4^0 F से अधिक होना।
   - विगत कुछ दिनों से सांस लेने में कठिनाई का इतिहास होना या सीने में जकड़न/दबाव या भारीपन होना।
   - सूंघने या स्वाद लेने की क्षमता में कमी परिलक्षित होना।
   - होंठ/चेहरे का नीला पड़ना।
   - मानसिक भ्रम होना।
   - पल्सऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन सैचुरेशन 95: से कम होना अथवा नब्ज़ दर 120 से अधिक होना।
4. विधानसभा सत्र की अवधि में आने वाले समस्त आगन्तुकों में से बुखार, सर्दी–खाँसी, सांस की कठिनाई अथवा उपरोक्त में से कोई भी लक्षण वाले व्यक्तियों का कोविड–19 संक्रमण की पुष्टि हेतु तत्काल रेपिड एन्टीजन टेस्ट पद्धति से जांच हेतु सैम्पल लिया जाये।

5. स्क्रीनिंग के दौरान संभावित संक्रमित (तापमान 100.4^0 F अथवा 38^0 C से ज्यादा) व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति न दी जाये। अत्यावश्यक होने पर ऐसे व्यक्तियों के लिए पृथक से कक्ष का उपयोग किया जाये।

6. विधानसभा सत्र की अवधि में विधानसभा क्षेत्र के कक्षों को यथासंभव खुला एवं हवादार रखा जाये ताकि क्रॉस–वेन्टीलेशन सुनिश्चित हो सके।

7. विधानसभा सत्र की अवधि में आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक–पृथक द्वार निर्धारित किये जाये। यदि एक ही प्रवेश द्वार हो तो, बैरीकेडिंग कर आगमन एवं निर्गमन हेतु पृथक पंक्ति निर्मित की जाये।

8. विधानसभा सत्र की अवधि में पूरे समय 3 परत मास्क का उपयोग अनिवार्यतः सुनिश्चित किया जाये।

9. विधानसभा में बोलते समय भी समस्त माननीय सदस्यों द्वारा 3 परत मास्क का उपयोग करते हुए मुँह को ढांका जाये।

10. विधानसभा सत्र की अवधि में विभिन्न स्थानों पर हाथ धोने की व्यवस्था (वॉश–बेसिन, साबुन पेपर नैपकिन) तथा एल्कोहल युक्त सेनिटाईजर (न्यूनतम 70% एल्कोहल युक्त) उपलब्ध कराया जाये। पेपर नैपकिन के उपयोग उपरान्त निस्तारण हेतु ढक्कन वाले डस्ट–बिन का उपयोग किया जाये।

11. विधानसभा सत्र की अवधि में व्यक्तियों के मध्य परस्पर दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए।

12. विधानसभा सत्र की अवधि में पेयजल की व्यवस्था हेतु डिस्पोजेबल पेपर गिलास का उपयोग किया जाये। डिस्पोजेबल पेपर गिलास के उपयोग उपरान्त निस्तारण हेतु ढक्कन वाले डस्टबिन का उपयोग किया जाये।

13. विधानसभा सत्र की अवधि में विधायकों के प्रतीक्षा स्थल पर बैठक व्यवस्थाओं में परस्पर दूरी कम से कम 6 फीट की होनी चाहिए।

14. विधानसभा सत्र की अवधि में दरवाजों के हैन्डल, हैन्डरेल, बेन्च आदि को 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट के घोल से विसंक्रमित किया जाये।

15. विधानसभा सत्र की अवधि में समस्त शौचालयों की निरन्तर सफाई एवं विसंक्रमण 1% सोडियम हाईपोक्लोराईट के घोल से सुनिश्चित की जाये।

16. विधानसभा सत्र की अवधि में एयर कंडिशनिंग वेन्टीलेशन के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. के निर्देश अनुसार सभी एयर कंडिशनिंग उपकरणों का तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में तथा सापेक्ष आर्द्रता 45 से 70 प्रतिशत रखी जाए।

17. विधानसभा में सेन्ट्रल एयर कंडिशनिंग होने के कारण केन्द्रीय हॉल में अधिक लोगों की जमावट होने से वायरल लोड बढ़ने का खतरा हो सकता है। अतः, सत्र के दौरान केन्द्रीय हॉल में सेन्ट्रल एयर कंडिशनिंग के ब्लोअर को सतत् चालू रखा जाए। लंबी बैठकों से बचने का सुझाव है तथा कम समय का सत्र रखा जाना उपयुक्त होगा।

18. विधानसभा के माननीय सदस्यों जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है या जिनको अन्य दीर्घकालीन बीमारियाँ जैसे डायबिटीज/हाईपरटेन्शन, हद्यरोग, किडनी आदि की बीमारियाँ हैं, उनको विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जाये।

19. विधानसभा के दैनिक क्रियाकलापों में केवल अत्यावश्यक कार्य करने की सलाह दी जाये एवं अन्य सामान्य प्रकार के कार्यों को स्थगित किया जाये जिन्हें इस सत्र में न लिया जाना उपयुक्त होगा।

20. विधानसभा के कैन्टीन के संचालन हेतु विशेष सतर्कता बरती जाये एवं इस संबंध में जारी किये गये प्रोटोकॉल अनुसार संचालन एवं नियमित विसंक्रमण सुनिश्चित किया जाये।

Regards,

भवदीय,

(डॉ. संजय गोयल)

श्री ए.पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
विधान सभा सचिवालय,
मध्यप्रदेश।